

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()वन संरक्षण/उवसं/2022/ 545

दिनांक: 16/1/23

निमित्त:-

परियोजना निदेशक (पी0पी0पी0)

सा0नि0वि0

कोटा

विषय:- Submission of Wildlife Clearance Proposal Hard & soft Copies for

“Development of Laxmipura Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12. SH-12,

District Bundi the state of Rajasthan proposal No. FP/RJ/ROAD/29812/2017

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र

क्रमांक 8 बी/राज0/04/2022/जे पी आर/ दिनांक 30.08.2022 एवं आपका पत्र क्रमांक 739

दिनांक 30.12.22

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रस्तावित Construction Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12. सड़क में प्रासांगिक पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित सड़क वनखण्ड भरता बावडी, कछालिया, धनेश्वर, लाम्बाखोह एवं डसालिया-ए की वन भूमि में से गुजर रही है जिनमें से वनखण्ड भरता बावडी, कछालिया, धनेश्वर, लाम्बाखोह राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.एफ.न.3(12)वन/2019 दिनांक 16.05.2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार रामगढ विषधारी बाघ परियोजना का Buffer क्षेत्र होने के कारण Wildlife Clearance online portal पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर प्रस्ताव कार्यालय स्तर पर दिनांक 02.01.2023 को अग्रेषित किया गया है। विषयान्तर्गत प्रकरण का दिनांक 13.01.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी डाबी मय स्टाफ निरीक्षण किया गया। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड कॉपी एवं मोक़ा निरीक्षण अनुसार निम्न कमियां पाई गई-

1. पार्ट -1 में आप द्वारा डीविजन का नाम रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बून्दी लिखा गया है। जिसकी जगह उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (बफर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी, लिखा जाना है।
2. आप द्वारा में Wildlife Clearance हेतु 23.1627 हे0 क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। वनखण्ड भरता बावडी (3.0688 हे0), कछालिया(19.4592 हे0), धनेश्वर (5.12 हे0), लाम्बाखोह (1.152 हे0) कुल क्षेत्र 28.8 हे0 से कम है। सही क्षेत्रफल प्रस्तावित किया जाना है।
3. क्षेत्रफल गणना शीट में पेचवार क्षेत्र की गणना अंकित नहीं है।
4. आप द्वारा प्रस्तुत डी. जी. पी. एस. एवं टोपो शीट पर भी बिन्दू संख्या 2 के अनुरूप मार्किंग करें।

उक्त कमी पूर्ति कर परिवर्तन होने वाले दस्तावेज परिवर्तित कर हार्ड कॉपी एवं ऑन लाईन प्रस्ताव कार्यालय स्तर पर भिजवायें ताकि Diversion एवं Wildlife Clearance की अग्रिम कार्यवाही की जावें।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहनराज)

उप वन संरक्षक

बून्दी

दिनांक: 16/1/23

क्रमांक एफ2()वन संरक्षण/उवसं/2022/ 546

1. प्रतिलिपि संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डॉ. टी. मोहनराज)

उप वन संरक्षक

बून्दी